

कार्यालय कमिशनर, वाणिज्य

कर, उत्तर प्रदेश

(चेक पोस्ट अनुभाग)

लखनऊ:: दिनांक:: 05

फरवरी , 2008

समस्त

जोनल एडीशनल कमिशनर

ज्वाइन्ट कमिशनर(कार्यपालक / वि० नु०शा०/प्र०/अपील/उ०न्या०कार्य/सर्वो०न्या०कार्य)

डिप्टी कमिशनर /असिस्टेन्ट कमिशनर /

चेक पोस्ट, सचलदल, वि० नु०शा०, कर निर्धारण, वाणिज्य कर उ०प्र०

वाणिज्य कर अधिकारी , उ०प्र० ।

Key word 1-13-Administrative / Genral Direction

कृपया इस कार्यालय के परिपत्र संख्या- चे०पो० 25क- 05-06 / 1048 / वाणिज्य कर दिनांक 28-08-07 व परिपत्र संख्या - चे०पो०- 07-08 / 1713 / वाणिज्य कर दिनांक 26-10-07 का संदर्भ लेने का कष्ट करें जिसके द्वारा निम्न निर्देश दिए गये हैं :-

- (1) बर्ड फ्लू की रोकथाम हेतु सभी चेकपोस्टों पर गहन निगरानी / चेकिंग कर पोल्ट्री एवं उसके उत्पादों को प्रवेश की अनुमति दी जाए ।
 - (2) पूर्वी भारत से आने वाले क्षेत्रों / रेलमार्गों एवं बार्डर जनपदों में प्रदेश में पोल्ट्री एवं उसके उत्पादों के आने पर सीरो सर्विलेन्स के तहत विशेष ध्यान दिया जाय ।
 - 2- इस संबंध में प्रमुख सचिव पशुधन विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा यह अवगत कराया गया है कि भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग, कृषि भवन नई दिल्ली के पत्रसंख्या 50 -172/ 2007 एल डी टी (ए.क्यू.) दिनांक 15-01-08 तथा विभिन्न प्रिन्ट व इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से यह विदित हो रहा है कि पश्चिम बंगाल के कुछ जनपदों में एवियन इन्फ्लुएन्जा (बर्ड फ्लू) का आउट ब्रेक हो चुका है तथा प्रदेश में इससे बचाव हेतु तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है ।
 - 3- इस संबंध में शासन द्वारा यह अपेक्षा की गयी है कि पश्चिम बंगाल एवं पूर्वोत्तर प्रदेशों से आने वाले कुक्कुट एवं कुक्कुट उत्पादों को रोकने हेतु जन स्वास्थ्य / जनहित के दृष्टिगत तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ।
 - 4- इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि कृपया शासन की अपेक्षा के अनुरूप पश्चिम बंगाल एवं पूर्वोत्तर प्रदेशों से आने वाले कुक्कुट एवं कुक्कुट उत्पादों के वाहनों के जांच चौकियों पर आने पर / पश्चिम बंगाल एवं पूर्वोत्तर प्रदेशों से आने वाले कुक्कुट एवं कुक्कुट उत्पादों के वाहनों के मार्गों पर पाये जाने पर इन्हें जन स्वास्थ्य / जनहित के दृष्टिगत प्रदेश में न आने देने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें ।
- निर्देशों का अनुपालन तत्काल कठोरता से सुनिश्चित किया जाए ।

(सुनील कुमार)

कमिशनर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रमुख सचिव , संस्थागत वित्त एवं कर एवं निबन्धन (अनुभाग-2),उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ
- 2- प्रमुख सचिव , पशुधन (अनुभाग-2),उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ को उनके पत्रसंख्या - 422 / सैतीस -2-2008-30(93)/05 टी. सी.-I दिनांक 29-01-2008 के संदर्भ में ।
- 3- अध्यक्ष , वाणिज्य कर अधिकरण , उत्तर प्रदेश ,लखनऊ ।
- 4- समस्त सदस्य , वाणिज्य कर अधिकरण , उत्तर प्रदेश ।
- 5- संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान , गोमतीनगर , लखनऊ
- 6- समस्त अनुभाग अधिकारी , वाणिज्य कर , मुख्यालय ।
- 7- चेक पोस्ट अनुभाग/ वैट अनुभाग / कम्प्युटर / मैनुअल / विधि / जनसम्पर्क अनुभाग को 25/ 5/ 5/5/ 10 प्रतियाँ अतिरिक्त

(जगमोहन लाल शर्मा)
ज्वाइन्ट कमिश्नर (चे० पो ०) वाणिज्य कर,
मुख्यालय , लखनऊ